

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 224]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 जुलाई 2023—आषाढ़ 28, शक 1945

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2023

क्र. एफ-3-3-4-0001-2023-चौवन-1.- राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची के अनुक्रमांक 76 से कुड़मी जाति का लोप करते हुए तथा उक्त सूची के अनुक्रमांक 39 पर उल्लिखित जातियों यथा कुरमी, कुर्मी आदि के साथ कुड़मी जाति को सम्मिलित करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन सूची का निम्नानुसार पुनरीक्षण करता है, अर्थात् :-

पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक	जाति/उपजाति/वर्ग/समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
39	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार, (कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी) कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चन्द्रनाहू, कुंभी गवैल (गमैल) सिरवी, कुड़मी	कृषक, कृषि मजदूरी	-
76	कुड़मी का लोप कर क्रमांक 39 पर स्थानांतरित.	-	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एन. पी. नामदेव, उपसचिव.